

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2024

जयपुर दिनांक 04 DEC 2024.


::अधिसूचना::

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49) की धारा 4 (2) सपठित धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगों की अन्वीक्षा (ट्रायल) करने हेतु निम्नलिखित जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के सेशन न्यायालय, सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनके पीठासीन अधिकारियों को उनके पदस्थापन की तारीख से, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां	बारां	राजस्व जिला बारां
2	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	राजस्व जिला चित्तौड़गढ़
3	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द	राजसमन्द	राजस्व जिला राजसमन्द
4	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर	सीकर	राजस्व जिला सीकर

नोट- साथ ही पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में उपरोक्तानुसार क्षेत्राधिकार वर्तमान में कार्यरत विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के क्षेत्राधिकार में संशोधित किया जाता है एवं उपरोक्त न्यायालयों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,


04.12.24
(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/12/2024/1201

Date: ...10.../12/2024

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The concerned District & Sessions Judge.
3. The concerned court through District & Sessions Judge.
4. The concerned Chief Judicial Magistrate,
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.


10/12/2024
REGISTRAR (RULES)